मु. न. वाद 185/11

शोभालाल बनाम रामी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 7.5.15 | वकील वादी द्वारा आरूप स्वरूप वादी सं. 01 का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसको दस्तावेजी मुस्सल शामिल की गई/ वकील वादी अब साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता है। साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.5.15 को पेश हो/ | शोभालाल व.मि. |
| 21-7-15 | पत्रावली कैम्प......छोड़ा.....को पेश हुई।<br>आगामी दिनांक....15.9.15...को पेश हो। | |
| 15/9/15 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29.9.15 को पेश हो। | |
| 29.9.15 | उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है।<br>अतः पत्रावली दिनांक....16.10.15.....<br>को पेश हो।<br>रीडर<br>सहायक कलक्टर मांडल | |
| 16.10.15 | वकील वादी उपस्थित, बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.10.15 को पेश हो। | |
| 29/10/15 | उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है।<br>अतः पत्रावली दिनांक 17.11.15.........<br>को पेश हो।<br>रीडर<br>सहायक कलक्टर मांडल | |
| 17-11-15 | पत्रावली पेश हुई, प्रार्थीगण शोभालाल वगै. निवासी घोड़ास तहसील मांडल ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 (क), 188 RTA-1955 पेश कर अनुतोष चाहा है कि वादीगण की हाल आ० न० 1264 रकबा 2 बीघा एवं 1265 रकबा 15 बिस्वा का साबिक रेकार्ड के मुकाबले 8-8 बिस्वा कम दर्ज कर भू-प्रबन्धन कार्यवाही के दौरान प्रतिवादीगणों की आ०न० | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व त<br>अहकाम ज<br>हुक्म की त<br>में जारी |
|---|---|---|
| | 1277 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में शामिल कर दिया गया है, अत: आ० न० 1277 में से रकबा 8 बिस्वा कम कर वादी स० 1, 5 से 13 के नाम अंकित आ० न० 1264 मी. 1264/3 से दर्ज कराया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादीगणो की उक्त आ० न० 1277 में से रकबा 8 बिस्वा और कम कर वादी स० 1, 9 से 14 की आराजी न० 1265 में दर्ज किया जावे।<br>वाद दर्ज कर प्रतिवादीगणो को जरिए सम्मन तलब किया गया, वकील प्रतिवादीगणो द्वारा बार-बार अवसर दिया जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगणो का जवाब बंद किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ-पत्र पेश किया गया। वकील वादी द्वारा बहस में असमर्थता जाहिर करने पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।<br>प्रकरण में वादीगणो द्वारा प्रस्तुत साबिक रेकार्ड मिलान खेतफल एवं हाल राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत साबिक एवं हाल रेकार्ड से यह सिद्ध होता है कि वादीगणो की ~~[illegible]~~ हाल आ० न० 1264 रकबा 2 बीघा के पुराने नम्बरो का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा था, नई जरीब के अनुसार गणना करने पर 3 बिस्वा प्रति बीघा कमी करने पर रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा दर्ज होना चाहिये, इसी प्रकार आ० न० 1665 के पुराने नम्बरो का रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा था, नई जरीब अनुसार गणना करने पर 1 बीघा 3 बिस्वा दर्ज होना चाहिये। प्रतिवादीगणो द्वारा इसके विरोध में न तो जवाब पेश किया गया है एवं नही बहस की गई है, अत: वाद स्वीकार किया जाकर, आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादियों की आ० न० 1277 में से 16 बिस्वा, रकबा कमी किया जाकर इससे लगती हुई वादीगणो की आ० न० 1264 मि. 1264/3 में 8 बिस्वा एवं 1265 में 8 बिस्वा वृद्धि कर दर्ज रेकार्ड किया जावे, इसी प्रकार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]<br><br>सहायक कलक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी, माण्डल | |